



प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना बडौत

दिनांक-26.12.2024

थाना बडौत पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 772/24 धारा 303(2) बी.एन.एस. का सफल अनावरण करते हुए एक अभियुक्त को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से चोरी किये हुए कुण्डल बेचकर प्राप्त रूपयों में से 1400 रूपये नगद बरामद ।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 12.11.2024 को थाना बडौत पर वादी असलम पुत्र अलाउद्दीन निवासी मदीना मस्जिद करबा व थाना बडौत जनपद बागपत ने लिखित तहरीर दी कि अज्ञात चोर द्वारा वादी की माता जी को बहला फुसलाकर उनके कान के कुण्डल चोरी कर लिये हैं। इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना बडौत पर मु0अ0सं0 772/24 धारा 303(2) बी.एन.एस. पंजीकृत किया गया था।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं चोर/वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना बडौत पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 772/24 धारा 303(2) बी.एन.एस. का सफल अनावरण करते हुए एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है, जिसके कब्जे से चोरी किये हुए कुण्डल बेचकर प्राप्त रूपयों में से 1400 रूपये नगद बरामद हुए हैं।



उपरोक्त अभियोग में बरामदगी के आधार पर धारा 317(2) बि.एन.एस. की वृद्धि कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

कार्तिक पुत्र चन्द्रवीर निवासी बडी माता रोड़ पंसारियन मौहल्ला थाना कोतवाली शामली जनपद शामली ।

बरामदगी का विवरण-

- चोरी किये हुए कुण्डल बेचकर प्राप्त रूपयों में से 1400 रूपये नगद बरामद ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-उ0नि0 श्री संजय सिंह पूनियाँ थाना बडौत जनपद बागपत ।
- 2-उ0नि0 श्री सचिन कुमार थाना बडौत जनपद बागपत ।
- 3-का0 1070 नरेश कुमार थाना बडौत जनपद बागपत ।
- 4-का0 989 ललित यादव थाना बडौत जनपद बागपत ।

